न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 110/2021
(जीसीएमएस संख्या 2021/204)

निर्णय दिनांकः– 4-11-25

1. संतोष पत्नी भंवरलाल जाति बिश्नोई निवासी माणकासर तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. ममता पत्नी संतकुमार पुत्र बद्रीप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी हाल 11/614, मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर।
2. सविता
3. स्वाति
4. विकास

   पुत्रगण संतकुमार नाबालिकान जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता ममता पत्नी संतकुमार जाति ब्राहम्ण निवासी हाल 11/614 मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार बज्जू।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 18–03–1985
सहायक आयुक्त उपनिवेशन छतरगढ मुकाम बीकानेर वर्तमान क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी बज्जू।

उपस्थितिः–
1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट।
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने उक्त अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन छतरगढ मुकाम बीकानेर वर्तमान क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी बज्जू के आदेश दिनांक 18–03–1985 जिसके द्वारा रेस्पोडेंट के पूर्वज को किया गया आवंटन कानून

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने हेतु इस न्यायालय में अपील अन्तर्गत नियम 23 (1) उपनिवेशन कृषि भूमि आवंटन एवं विक्रय नियम 1975 प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए वादगत भूमि चक 1 सीडीवाई के मुरब्बा नंबर 95/13 के किला नंबर 8, 13, 16 ता 18, 23 ता 25 में 8 बीघा, मुरब्बा नंबर 96/49 के किला नंबर 11, 12, 17 ता 25 में 11 बीघा, मुरब्बा नंबर 96/50 के किला नंबरर 1 ता 4, 8, 9 में 6 बीघा कुल 25 बीघा का आवंटन रेस्पोडेन्टान के पति व पिता स्व संतकुमार पुत्र बद्रीप्रसाद के नाम से किया गया। लेकिन कभी भी आवंटी संतकुमार को मौके पर कब्जा नहीं सौपा गया। उक्त आवंटन को अन्य प्रकरण रूकमा बनमा संतकुमार अपील संख्या 323/1991 में दिनांक 25–07–1998 को माननीय न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन ने निरस्त कर दिया। जिसके विरूद्ध संतकुमार द्वारा माननीय मण्डल में निगरानी प्रकरण संख्या 2339/1999 अनुवानी संतकुमार बनाम रूकमा प्रस्तुत हुई जिसमें माननीय मण्डल ने दिनांक 13–05–2008 को निगरानी स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड कर दिया जो आज भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैरकार है। अतः उक्त आवंटन के संबंध में वादगत भूमि मौके पर अराजीराज थी। अपीलांट ने उक्त भूमि मे स मुरब्बा नंबर 95/13 के किला नंबर 8, 13, 16 ता 18, 23 ता 25 में 8 बीघा मूल खातेदार गावर अली पुत्र दीवे खां जाति मुसलमान से दिना 01–01–2008 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर ली तथा राजस्व रिकॉर्ड में आज भी अपीलान्टा का नाम दर्ज है। मौके पर आज भी अपीलांटा का कब्जा काश्त है उक्त भूमि आवंटी श्री गावर अली को दिनांक 26–03–2004 को मिडियम पेच आवंटन में आवंटित हुई तत्कालीन सक्षम अधिकारी ने दिनांक 11–09–2007 को उक्त भूमि की खातेदारी अधिकार श्री गावर अली को प्रदान कर दिये राजस्व रिकॉर्ड में अंकन होने के पश्चात श्री गावर अली ने वादगत भूमि का विक्रय पत्र विधिवत रूप से अपीलांटा के पक्ष में कर दिया। गावर अली को सन 2004 में आवंटन के समय पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार तत्समय संतकुमार का आवंटन प्रभावी नहीं था तथा भूमि शुद्ध रू से अराजीराज भूमि थी। रेस्पोडेटान के पिता व पति को बतौर भूमिहीन काश्तकार के आवंटन की गई थी जबकि वादगत भूमि तत्समय विशेष आवंटन हेतु गजट में दिनांक 29–03–1984 को प्रकाशित हो चुकी थी।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अभिभाषक अपीलांट ने बहस को जारी रखते हुए आगे बताया कि संतकुमार ने अपने अपने आवंटन आवेदन पत्र व उसके संलग्न शपथ पत्र में भारी कांट छांट कर अपना निवास स्थान भिन्न स्तिनों पर बताया है तथा आदेश जैर अपील के पश्चात् पट्टा बीकानेर का निवासी अंकित कर प्राप्त किया है। वास्तव में संतकुमार भूमिहीन आवंटन का अधिकारी ही नही था ना ही उसने आवंटन हेतु समस्त अहर्ताओं के साक्ष्य सबूत पेश किये। अपीलांटा वादग्रस्त भूमि की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा खरीदशुदा रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। मौके पर अपीलान्टा काबिज होकर काश्त करती आ रही है। इस प्रकार अपीलांटा आदेश जैर अपील से सिधे तौर पर प्रभावित व व्यथित पक्षकार है। इसलिए अपीलान्टा को उपरोक्त अनुवानी अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जावे इस हेतु धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दिया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील दिनांक 01–12–1993 को निरस्त फरमाया जावे।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में मियाद बिन्दू पर कथन किया कि दिनांक 12–02–2021 को रेस्पोडेंट संख्या 1 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बज्जू के समक्ष जैरकार प्रकरण संतोष बनाम रोशन खां में पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अपीलांटान को समस्त प्रकरण की जानकारी हुई तथा रेस्पोडेंट द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर से इकतरफा तौर पर प्राप्त आदेश दिनांक 26–12–2019 अनुवानी ममता बनाम गावर अली की जानकारी हुई तब प्रार्थीनी ने तुरंत ही राजस्व मण्डल राजस्थान में निगरानी प्रस्तुत की जहां अपने अधिवक्ता द्वारा विधिक राय प्राप्त होने पर आदेश जैर अपील की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु प्रयास किया तथा कोविड–19 के लोकडाउन के पश्चात् सर्वप्रथम दिनांक 25–08–2021 को पत्रावली उपनिवेशन अभिलेखागार में होने की जानकारी मिलने पर अधिवक्ता द्वारा नकल प्राप्त की अतः अपीलांटा को जैर अपील आदेश की जानकारी सर्वप्रथम उसी दिन हुई। अतः अपील अपीलांटान अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् ने अपनी बहस में कथन किये कि रेस्पोडेंट संख्या 1 के पति व रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 4 के पिता संतकुमार पुत्र बद्रीप्रसाद के नाम चक 1 सीडीवाई के मुरब्बा नंबर 95/13 के किला नंबर 8, 13, 16

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

ता 18, 23 ता 25 में 8 बीघा, मुरब्बा नंबर 96/49 के किला नंबर 11, 12, 17 ता 25 में 11 बीघा, मुरब्बा नंबर 96/50 के किला नंबरर 1 ता 4, 8, 9 में 6 बीघा कुल 25 बीघा कमाण्ड भूमि आवंटन सलाहकार समिति की राय से दिनांक 18–03–1985 को आवंटन की गई है जिसका आवंटन आदेश जारी होने पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया, तथा मौके पर कब्जा दे दिया गया। मु. रूखमा पत्नी धुडाराम के नाम ग्राम बांगडसर में खसरा नंबर 1557/755 में 40 बीघा भूमि टी.सी. आवंटन थी जो चकबन्दी में आने पर चक 1 सी.डी.वाई. में मुरब्बा नंबर 96/41, 96/49, 96/50 में 24.10 बीघा भूमि में पैमुद होना बताते है। मु. रूखमा का टी.सी. आवंटन दिनांक 30–06–1983 को श्रीमान आयुक्त उपनिवेशन कोलायत द्वारा निरस्त क दिया गया है। जबकि संत कुमार को उपरोक्त भूमि दिनांक 18–03–1985 को भूमि हीन श्रैणी में आवंटन हुई। मु. रूखमा ने आदेश दिनांक 30–06–1983 के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के समक्ष अपील पेष जो दिनांक 03–01–1987 को स्वीकार की जाकर पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने आदेश दिये है जिस पर श्रीमान् सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत ने दिनांक 27–11–1987 को रूखमा के नाम चक 1 सी.डी.वाई. में मुरबा नंबर 96/49, 96/50 में 19–19 बीघा भूमि पुख्ता आवंटन कर दी जबकि संतकुमार का आवंटन उस दिनांक को भी निरस्त नही था। संतकुमार के नाम विवादित भूमि पूर्व आवंटन होने की जानकारी पर श्रीमान् सहायक आयुक्त उपनिवेषन कोलायत ने दिनांक 08–01–1988 को रूखमा का टी.सी. आवंटन निरस्त कर दिनांक 19–11–1988 को चक 6 ए.पी.एम में मुरब्बा नंबर 108/26 व 108/34 में 28 बीघा भूमि आवंटन कर दी। इस आदेश से व्यथित मु. रूखमा ने न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 25–07–1988 को स्वीकार कर संतकुमार के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त कर पुनः मु.रूखमा के पक्ष में बहाल कर दिया। इससे व्यथित संतकुमार ने राजस्व मण्डल मे निगरानी संख्या 73/1999 प्रस्तुत कि जो दिनांक 13–05–2008 को स्वीकार कि जाकर न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर को रिमाण्ड कि गई जिस पर न्यायालय ने दिनांक 07–10–2024 को मु. रूखमा की अपील निरस्त करते हुए संतकुमार का आवंटन बहाल कर दिया। दौराने रिविजन मु. रूखमा ने उक्त विवादित भूमि दिनांक 07–09–2007 को खातेदारी अधिकार प्राप्त कर दिनांक 20–10–2007 को जरिये पंजीब

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

बैयनामा मु. बाली वगैरह को विक्रय कर दी न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 ने दिनांक 22–09–2014 को अपास्त किया जा चुका है। विक्रय पत्र निरस्त होने के बावजूद मु. बाली वगैरह ने न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 07–10–2014 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष रिविजन प्रस्तुत की जो दिनांक 27–10–2020 को निरस्त की जा चुकी है। इस पुरी न्यायिक प्रक्रिया के दौरान संत कुमार को आवंटित भूमि चक 1 सी.डी.वाई. के मुरबा नंबर 95/13 में किला नंबर 8, 13, 16, 24 में 4 बीघा कमाण्ड व किला नंबर 17, 18, 23, 25 में 4 बीघा अनकमाण्ड कुल 8 बीघा गावरअली पुत्र दिवे खां के नाम दिनांक 26–03–2024 को मिडियम पेच आवंटन कर दी गई जिसके विरूद्ध रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 26–12–2019 को स्वीकार की जाकर गावरअली के पक्ष में किये गये मिडियम पेच आवंटन को निरस्त कर दिया गया है उक्त आदेश के विरूद्ध गावरअली अथवा अपीलांटा ने कहीं कोई कार्यवाही नही कि तथा न्यायालय हाजा के समक्ष गलत तथ्य रख कर गुमराह किया जा रहा है। विवादित भूमि रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 के पति एवं पिता की आवंटनशुदा भूमि है जिस पर उनका अधिकार है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने मियाद बिन्दू पर अपनी बहस मे कथन किये कि अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 में किये गये समस्त कथन मिथ्या एवं मनगढत है। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश जानकारी दिनांक 12–02–2021 को हो गई थी लेकिन अपीलांटान द्वारा अपील दिनांक 08–09–2021 को पेश कि गई है जो स्पष्टतः मियाद बाहर है अतः अपील अपीलांट मियाद बिन्दू पर खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रकरण में सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अधिनियम व धारा 96 सीपीसी पर निर्णय किया जाना है। अपीलांट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 18–5–1985 के विरूद्ध अपील दिनांक 08–09–2021 को पेश की गई है। यह स्पष्ट है कि अपील लगभग 36 वर्ष पश्चात् पेश की गई है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पेश कर यह अभिस्वीकृत किया है कि अपीलांट को दिनांक 12–02–2021 को प्रकरण की जानकारी हुई। यदि इस तथ्य पर विश्वास भी करे तो डेट ऑफ नॉलेज से 7 माह पश्चात अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में इस विलम्ब के संबंध में ऐसा कोई पर्याप्त कारण दर्शित नही किया है जिससे न्यायालय को यह समाधान हो कि विलम्ब की परिस्थितियॉ अपीलांट के नियंत्रण से बाहर थी। न्यायालय द्वारा इस बिन्दू पर विनिश्चिय किया जाना है कि क्या अपील की अवधि अत्यधिक है अथवा नही? क्या प्रकरण गुणावगुण पर इतना मजबूत है कि दीर्घकाल के विलम्ब को कंडोन किया जाए? इस संबंध में न्यायालय का अभिमत यह है कि हस्तगत अपील 36 वर्ष के विलम्ब से पेश की गई है। विलम्ब की यह अवधि असामान्य है। अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छतरगढ़ के आवंटन आदेश दिनांक 18–03–1985 के विरूद्ध पेश की है। इस आवंटन को माननीय राजस्व मंडल, अजमेर में अपने निर्णय दिनांक 27–10–2020 में पुष्ट किया है। प्रकरण गुणावगुण पर इतना मजबूत नही है कि इसे मियाद के बिन्दू पर वरियता दी जाए। इस स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार कर अपील को मियाद बाहर माना जाता है।

अपीलांटा द्वारा अपीलाधीन भूमि गावर अली पुत्र दीवे खां जाति मुसलमान से दिनांक 01–01–2008 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की गई। गावर खां को यह जमीन दिनांक 26–03–2004 को मीडियम पेच में आवंटित हुई। अपीलांटा ने केता होने के आधार पर तृतीय पक्षकार के रूप में हस्तगत अपील पेश की है। इसके संबंध में न्यायालय का अभिमत यह है कि न्यायालय हाजा द्वारा अपील अनुवानी ममता बनाम गावर अली में निर्णय दिनांक 26–12–2019 द्वारा गावर अली के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त कर दिया गया है जिसके विरूद्ध अपीलांटा द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी दायर की गई थी। अपीलांटा द्वारा गावर अली से

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलाधीन आराजी कय करने के आधार पर अपील पेश की है परन्तु गाफर अली का आवंटन अपील पेश करने से पूर्व ही खारिज हो चुका है साथ ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–03–1985 को माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27–10–2020 में सही माना है। इस सूरत में अपीलांटा को अपील पेश करने की अधिकारिता हासिल नही होती है।

6. अपील गुणावगुण पर भी अपीलांटा के विरूद्ध बनती है। परन्तु चूंकि प्रकरण में अपील मियाद बाहर निर्धारित की जा चुकी है। अंतः जहॉ अपील मियाद के बिन्दू पर खारिज मानी जाती है वहॉ गुणावगुण पर विचारण नही किया जा सकता है। अंतः अपील अपीलांट मियाद बाहर होने व लॉकस स्टेण्डाई हासिल न होने के आधार पर खारिज की जाती है।

7. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 4-11-25 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर